DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS-- दैनिक जागरण नई दिल्ली, 3 फरवरी, 2024 ATED----------

गांवों में अतिक्रमण व अव्यवस्था, कुछ भी नहीं बदला

अजय राय ● नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी के गांवों के लिए मिशन ग्रामोदय सिर्फ बैठकों और निरीक्षण तक ही सीमित नजर आ रहा है। दौरे के 25 दिन बाद भी गांवों में कुछ नहीं बदला। अलग-अलग विभागों को जिलाधिकारियों ने उनके हिस्से का काम करने के लिए कहा था, लेकिन जमीन पर ऐसा कुछ नहीं दिखता। नई दिल्ली के जिलाधिकारी ने आठ दिन पहले समालखा गांव की समस्याओं पर सभी विभागों को कार्ययोजना भी दे दी है। हफ्ते भर पहले दिल्ली के सभी जिलाधिकारियों ने अपने क्षेत्र के दूसरे गांवों का भी दौरा कर लिया है। कागजों पर पहुंची समस्या जमीन पर कब उतरेगी, यह किसी को नहीं पता।

दिल्ली के गांवों का हाल जाने और ग्रामोदय करने के लिए उपराज्यपाल ने सभी 11 जिलों के डीएम को गांव में रात बिताने के

समालका में खुली नाली पड़ी नाली और फैली गंदगी ● जागरण

आदेश दिए थे। इस दौरान डीएम को सभी विभागों के अधिकारियों के साथ ग्रामीणों से संवाद और निरीक्षण के करने के लिए कहा है। इस दौरान ग्रामीण जो भी समस्याएं बताते हैं उसे या निरीक्षण में नजर आती है उसका निराकरण करने की योजना बनाने का निर्देश दिया था। सात

25 दिन पहले जिलाधिकारी ने समालका गांव का किया था दौरा

जनवरी से ये दौरे शुरू हुए। अब तक हर जिलाधिकारी कम से कम दो गांवों का दौरा कर चुका है। संवाद या निरीक्षण में ग्रामीण जो भी समस्या बताते हैं उसे संबंधित विभाग के अधिकारियों से वहीं पर जवाब मांगा जाता है और जो कार्य तुरंत होने लायक होता है उसे करने का आदेश दिया जाता है। बाकी बड़े कार्यों के लिए कार्ययोजना तय की गई है। इसी के तहत सात जनवरी को समालखा में नई दिल्ली के डीएम ने दौरा किया था और 25 जनवरी को गांव की समस्याओं के समाधान के लिए एडीएम ने पूरा ब्योरा बनाकर सभी संबंधित विभागों को भेज दिया है।

जिलाधिकारी ने रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा है कि गांव में ग्राम सभा की जमीन पर काफी अतिक्रमण किया गया है। डीडीए को निर्देश दिया गया है कि वह सीमांकन करने के बाद अवैध कब्जा खाली कराए। साथ में जो जमीन बची है उसकी चारदीवारी की जाए। गांव में एक भी पार्क नहीं है। इसी जमीन में से कहीं पर इसे बनाया जा सकता है। इसी तरह जल निकासी के लिए उचित व्यवस्था करना। सफाईकर्मियों की मौजूदगी सुनिश्चत करना। खुले नालों को बंद करने करने की जिम्मेदारी एमसीडी, पीडब्ल्यूडी, एनएचएआइ व सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग को दी गई है। गांव में जल निकासी के अलावा सीवेज व्यवस्था से जुड़ी समस्याओं का निराकरण और समुचित जलापूर्ति की व्यवस्था दिल्ली जल बोर्ड को करना है। सुरक्षा, महिलाओं को स्वरोजगार का प्रशिक्षण, बरात घर का सुंदरीकरण आदि का कार्य भी अलग-अलग विभागों को सौंपा गया है। रिपोर्ट में कार्य पूरा करने की समयसीमा तय करने के लिए सभी संबंधित विभागों से मांगा गया है।

वेटलैंड देश के अमृत धरोहर, दीर्घकालिक निवेश जरूरी

जागरण संवाददाता, बाहरी दिल्ली: दिल्ली के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में शुक्रवार को विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम आर्द्रभूमि और मानव कल्याण है, जो आर्द्रभूमि संरक्षण को प्राथमिकता देने की तत्काल आवश्यकता की बात करती है। डीडीए के वित्त सदस्य विजय कुमार सिंह कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे। इस मौके पर पार्क के इंचार्ज डा. फैयाज ए. खुदसर ने विश्व आर्द्रभूमि दिवस के महत्व और यमुना जैव विविधता पार्क में बहाल आर्द्रभूमि के महत्व को समझाया। उन्होंने भूजल सुधार, कार्बन डाइआक्साइड को सोखने और पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार लाने में यमुना जैव विविधता पार्क की भूमिका के बारे में बताया। साथ ही वेटलैंड द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में बताकर भारतीय अर्थव्यवस्था से उसकी तुलना की, जिसे 2024-25 तक पांच ट्रिलियन डालर का लक्ष्य दिया गया है। उन्होंने बताया कि अकेले वेटलैंड का आर्थिक मूल्य लगभग 47 ट्रिलियन डालर प्रतिवर्ष है।

कार्यक्रम में शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, प्रकृति प्रेमियों ने हिस्सा लिया और दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कालेजों के छात्र व प्रतिभागी शामिल हुए। इनमें मिरांडा हाउस कालेज, इंद्रप्रस्थ महिला कालेज, दयाल सिंह कालेज, हंसराज कालेज, श्री गुरु गोबिंद सिंह कालेज आफ कामर्स, महाराजा अग्रसेन कालेज, सत्यवती कालेज सहित शिवाजी कालेज, शिव नादर विश्वविद्यालय के छात्रों के अलावा डीडीए के अधिकारी भी शामिल रहे। इस अवसर पर प्रो. सीआर बाबू ने आर्द्रभूमि की संभावनाओं को पहचानने और उनके संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में न्यायपालिका और नीति-निर्माताओं की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने छात्रों से आर्द्रभूमि के संरक्षण और कायाकल्प में सक्रिय रूप से भाग लेने की भी अपील की।

वेटलैंड इंटरनेशनल साउथ एशिया के डा. असगर नवाब ने वेटलैंड्स को सुपर हीरोज बताया और बताया कि यह देश के अमृत धरोहर हैं। डीयू के पर्यावरण अध्ययन विभाग के प्रो आरएस शर्मा ने बताया कि आर्द्रभूमि जीवन का बीमा है और इसमें दीर्घकालिक निवेश की योजना बनानी होगी। डीयू के भूविज्ञान विभाग के प्रोफेसर शशांक शेखर ने बताया कि पारिस्थितिकी तंत्र का महत्वपूर्ण कार्य हाइड्रोलाजिकल कार्य है और यमुना जैव विविधता पार्क की बहाल आर्द्रभूमि निकटवर्ती समुदायों को ऐसे कार्य प्रदान कर रही है।

सात फरवरी से आवासीय योजना का दूसरा चरण

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) की फेस्टिवल धमाका आवासीय योजना के तहत दूसरा चरण सात फरवरी से शुरू होगा। यह योजना 'पहले आओ पहले पाओ' के आधार पर होगी। सात फरवरी को सुबह 11 बजे से लोग अपने फ्लैट बुक करवा सकेंगे। इस योजना में लोकनायक पुरम, नरेला और द्वारका में ईडब्ल्यूएस, एमआइजी और एलआइजी के फ्लैट उपलब्ध हैं। । स्कीम के तहत द्वारका सेक्टर 19 बी में ईडब्ल्यूएस, लोकनायक पुरम पाकेट ई में एमआइजी, नरेला के सेक्टर जी-2 पाकेट तीन में ईडब्लूएस व एलआइजी, नरेला के सेक्टर जी-2 पाकेट 5 में ईडब्लूएस व एलआइजी, नरेला के सेक्टर जी-2 पाकेट 6 में ईडब्लूएस व एलआइजी उपलब्ध हैं। प्रीमियर हाउसिंग स्कीम के सेकंड फेज का ई-नीलामी पांच से 10 फरवरी के बीच रोज सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक होगी।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI
SATURDAY, FEBRUARY 3, 2024

OF NEWSPAPERS----------DATED----------

MCD looks for land near Yamuna for compensatory afforestation

Vibha.Sharma
@timesgroup.com

New Delhi: Municipal Corporation of Delhi (MCD) claimed to have written to Delhi Development Authority for providing a piece of land at O-zone (next to Yamuna) for compensatory afforestation.

The civic body stated that they have planned to develop a second engineered landfill site at Sultanpur Dabas but it has a large number of kikar trees.

"We sought permission from the forest department for clearing trees from the identified 49-acre site in lieu of doing compensatory afforestation at another land at Ghumanhera near Haryana border," said an MCD official.

"However, the department had later put a condition to identify a site near Yamuna for compensatory afforestation. We have written to the DDA in this regard, requesting them to provide land for planting the trees and waiting for their reply," said the official.

A senior DDA official, however, stated that the authority has not received any correspondence from MCD in this regard.

The civic body is expecting that the inert and other processing waste generated from the upcoming waste to energy (WtE) plants at Bawana will be transported by the concessionaire to this engineered landfill.

Meanwhile, the work was already completed at the first engineered landfill at Tehkhand, which will be inaugurated any time this month, and inert or ash generated from Tehkhand and Okhla WtE plants would be diverted here.

Officials said that both the engineered landfill sites will be different from the conventional landfills as it will ensure disposal of waste in a scientific manner. These sites will also have provision for a leachate treatment plant to avoid leachate percolation in the ground.

"At the Tehkhand site, we have facilities in place to do the task. The leachate collected will be studied first for quality verification and based on the results, will utilise it at the green belt to be created as per guidelines on 6.2 acre area around landfill. A similar facility will be created at the second site also," said the official.

296 illegal colonies to be part of sewer network by Nov, chief secy tells NGT

Priyangi.Agarwal@timesgroup.com

New Delhi: Chief secretary Naresh Kumar has informed National Green Tribunal that of the total sewage being generated in Delhi, 82% was being treated while the remaining mostly came from unauthorised colonies. Out of 1,799 unauthorised colonies in Delhi, 1,031 are connected to sewage treatment plants and 296 colonies will be connected by Nov this year.

284
ILLEGAL COLONIES GOT SEWERAGE NETWORK DURING 2023, SAYS REPORT

"Of the total 1,799 unauthorised colonies in Delhi, sewer lines were laid and commissioned in 747 colonies for treatment of sewage in STPs or decentralised sewage treatment plants (DSTPs) in Jan 2023. During the last one year, sewerage network was provided to 284 more unauthorised colonies, and now, 1,031 out of total 1,799 unauthorised colonies in Delhi have sewerage network. The work of providing sewerage network in remaining 768 unauthorised colonies is at various stages," said the chief secretary in a report submitted to NGT.

According to the report, the high-level committee for rejuvenation of the Yamuna took up the matter of unauthorised colonies not connected to the sewage network.

"At a meeting on Jan 10, it directed DDA to provide status in respect of four unauthorised colonies falling under 'o zone' to DJB. DJB to expedite the laying of sewerage network in remaining unauthorised colonies, including five colonies for which NOC has been issued by the forest department; one colony for which ASI has given the permission; three colonies for which it was informed that they don't fall under the jurisdiction of ASI; and 22 colonies traced by DJB," said the report.

The committee asked DJB to provide a report on how sewage from 12 unauthorised colonies, in which providing a sewerage system is not feasible, would be dealt with.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । शनिवार, 3 फरवरी 2024

हाउसिंग स्कीम के दूसरे फेज़ में बुक कराएं फ्लैट

पहले आओ पहले पाओ के आधार पर फ्लैट के लिए करें अप्लाई

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

फेस्टिवल धमका हाउसिंग स्कीम के तहत दिल्ली डिवेलपमेंट अथॉरिटी दूसरे फेज का आवेदन 7 फरवरी से शुरू कर रही है। यह स्कीम पहले आओ पहले पाओ के आधार पर होगी। 7 फरवरी को 11 बजे से लोग इस स्कीम के तहत अपने फ्लैट बुक करा सकेंगे।

इस स्कीम में लोकनायक पुरम, नरेला और द्वारका में ईडब्ल्यूएस, एमआईजी और एलआईजी के फ्लैट्स उपलब्ध हैं। डीडीए के अनुसार इसके तहत सात फरवरी से सुबह 11 बजे से बुकिंग शुरू होगी। इस दौरान लोग अपनी पंसद के फ्लैट बुक कर सकते हैं। स्कीम के तहत द्वारका सेक्टर 19बी में ईडब्ल्यूएस, लोकनायक पुरम पॉकेट ई में एमआईजी, नरेला के सेक्टर जी-2 पॉकेट 3 में ईडब्ल्यूएस और एलआईजी, नरेला के सेक्टर जी-2 पॉकेट 5 में ईडब्ल्यूएस व एलआईजी और नरेला के सेक्टर जी-2 पॉकेट 6 में ईडब्ल्यूएस व एलआईजी मौजूद हैं। अधिकारियों ने बताया कि लोग डीडीए की वेबसाइट पर जाकर ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। **प्रीमियम हाउसिंग स्कीम का ई-ऑक्शन होगा 5 से 10 फरवरी के बीच;** वहीं, प्रीमियर हाउसिंग स्कीम के सेकंड फेज का ई-ऑक्शन 5 से 10 फरवरी के बीच रोज सुबह 11 से दोपहर 12 बजे तक होगा। 5 फरवरी को द्वारका के पेंटहाउस और एमआईजी फ्लैट का, 6 फरवरी को द्वारका के सुपर एचआईजी, 7 फरवरी को द्वारका के एचआईजी, 8 फरवरी को द्वारका के एचआईजी फ्लैट्स और 9 और 10 फरवरी को भी द्वारका के एचआईजी फ्लैट्स का ई-ऑक्शन होगा। अधिक जानकारी डीडीए की वेबसाइट से ले सकते हैं।

लोकनायक पुरम, नरेला और द्वारका में ईडब्ल्यूएस, एमआईजी और एलआईजी के फ्लैट्स

7 फरवरी को 11 बजे से लोग DDA स्कीम में अपने फ्लैट बुक करा सकेंगे

'क्लाइमेट चेंज से बचने के लिए वेटलैंड बचाना ज़रूरी'

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

'भारतीय अर्थव्यवस्था को 2024-25 तक पांच ट्रिलियन डॉलर करने का लक्ष्य दिया गया है, जबकि अकेले वेटलैंड का आर्थिक मूल्य लगभग 47 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष है।' यह कहना है डीडीए बायोडायवर्सिटी पार्क प्रोग्राम के साइंटिस्ट इंचार्ज डॉ. फैयाज ए खुदसर का। वे डीडीए के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में वर्ल्ड वेटलैंड डे पर आयोजित कार्यक्रम में इस पार्क का महत्व लोगों को समझा रहे थे।

वर्ल्ड वेटलैंड डे पर यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में कार्यक्रम आयोजित

इसमें शोधकर्ताओं के साथ डीयू के कई कॉलेजों के 500 से अधिक स्टूडेंट्स शामिल रहे। डीयू का जियोलॉजी डिपार्टमेंट, मिरांडा हाउस कॉलेज, इंद्रप्रस्थ महिला कॉलेज, दयाल सिंह (इवनिंग) कॉलेज, हंसराज कॉलेज, श्री गुरु गोबिंद सिंह कॉलेज ऑफ कॉमर्स, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, सत्यवती कॉलेज (इवनिंग), शिवाजी कॉलेज, शिव नाडर यूनिवर्सिटी और डीडीए के अधिकारी मौजूद रहे। कार्यक्रम में मुख्य अथिति डीडीए के फाइनेंस मैंबर विजय कुमार सिंह रहे। प्रो. सीआर बाबू ने वेटलैंड के संरक्षण के लिए जूडिशरी और पॉलिसी मेकर की भूमिका के बारे में बताया। वेटलैंड इंटरनैशनल साउथ एशिया के डॉ. असगर नवाब ने वेटलैंड्स को सुपरहीरोज बताया। डीयू के पर्यावरण अध्ययन विभाग के प्रो. आरएस शर्मा ने वेटलैंड को जीवन का बीमा बताया और कहा कि इनमें लॉन्गटर्म निवेश की जरूरत है। यमुना संसद के संयोजक रविशंकर तिवारी ने बताया कि वजीराबाद से कालिंदी तक लगभग 24 किलोमीटर में नदी के किनारे लगभग एक लाख दिल्लीवालों का जनआंदोलन हुआ। डीयू के पूर्व वाइस चांसलर प्रो. पीसी जोशी ने बताया कि कुछ करोड़ रुपये के बदले में ये कई अरब रुपये की इकोलॉजिकल सेवाएं दे रहे हैं।

पार्षद का परिचय

: अनिल त्यागी (57) बीजेपी से हैं और इस वॉर्ड से दूसरी बार पार्षद बने हैं। हालांकि उससे पहले यह कांग्रेस पार्टी में थे। इन्होंने ग्रेजुएशन किया है।

'एक पार्क बनाया, दूसरे की प्लानिंग'

दिल्ली सरकार और डीडीए से कई बार वॉर्ड से निकलने वाले कूड़े के निपटारे के लिए कॉम्पैक्टर मशीन लग सके उसके लिए जगह की मांग की है। कॉलोनियों व गांव की ग्राम सभा की जमीन दिल्ली सरकार के पास थी, जो अब डीडीए के पास है। वहां पर पार्क बनाने की योजना है। सफाई व्यवस्था को ठीक करने के लिए दिल्ली सरकार से सहयोग मांगा बुराड़ी में 200 गज की जगह पर एक नया पार्क भी बनाया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

बजट में रहेगा ढांचागत विकास पर जोर

डीडीए की कल की बैठक में आठ हजार करोड़ के बजट को मिल सकती है स्वीकृति

संजीव गुप्ता • नई दिल्ली

दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के बजट में अबकी बार ढांचागत विकास पर जोर रहेगा। बजट में कोई नई परियोजना शुरू करने की संभावना नहीं है। पहले से जारी परियोजनाओं को ही जल्द पूरा करने की प्राथमिकता रहेगी। एलजी और डीडीए के अध्यक्ष वीके सक्सेना की अध्यक्षता में पांच फरवरी को प्रस्तावित बोर्ड बैठक में वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लगभग आठ हजार करोड़ के बजट को स्वीकृति मिल सकती है।

गौरतलब है कि दिल्ली की भू-स्वामित्व एजेंसी डीडीए ही राजधानी के विकास की जिम्मेदारी भी संभालता है। ऐसे में गांवों के विकास के लिए एलजी ने अब डीडीए की भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। डीडीए के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान पर लगातार फोकस किया जा रहा है। अर्बन एक्सटेंशन रोड (यूईआर) दो यानी दिल्ली की तीसरी रिंग रोड का काम तेजी से चल रहा है। इन सीटू प्रोजेक्ट यानी जहां झुग्गी, वहीं मकान परियोजनाएं भी रफ्तार पकड़ रही हैं। मिलेनियम डिपो पर अनूठा म्यूजियम तैयार करने की योजना पर भी इस साल शुरू हो जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ परियोजनाएं, जिनके लिए वित्त वर्ष 2023-23 के बजट में भी राशि का आवंटन किया गया था, में से भी कुछ को इस साल के मध्य तक और कुछ को साल के आखिर तक पूरा कर देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

इस साल पूरे होंगे प्रोजेक्ट

- जेलरवाला बाग जहां झुग्गी, वहीं मकान (इन सीटू पुनर्वास) परियोजना, जिसमें आसपास की झुग्गियों में रहने वाले 1675 परिवारों को घर दिया जाएगा। इसका काम पूरा हो गया है। मार्च के पहले सप्ताह तक लाभार्थियों को इन्हें सौंप दिया जाएगा।
- कठपुतली कालोनी जहां झुग्गी, वहीं मकान परियोजना के तहत झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले 2800 परिवारों को घर मिलेगा। मार्च तक करीब 1400 फ्लैट कब्जे के लिए तैयार हो जाएंगे।
- सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रतिष्ठित प्रतिकृतियों के साथ लघु भारत की परिकल्पना पर आधारित द्वारका में बन रहा भारत वंदना पार्क का पहला चरण मार्च, 2024 तक पूरा हो जाएगा। 200 एकड़ में फैला यह पार्क जून तक पूरी तरह से तैयार हो जाएगा।
- खेलों के बुनियादी ढांचों, जिसमें द्वारका सेक्टर-24 में गोल्फ कोर्स और द्वारका सेक्टर-8, 19, 23 और रोहिणी सेक्टर-33 में विशिष्ट जलीय और मैदानी खेलों से संबंधित कई उत्कृष्टता केंद्र शामिल हैं, इस वर्ष मार्च और अप्रैल के बीच तैयार हो जाएंगे।
- लाल किले और दरिया गंज के पीछे के क्षेत्र के पुनर्विकास का काम जिसमें, दिल्ली चलो पार्क, घटा मस्जिद पार्क, उर्दू अकादमी पार्क और सद्भावना पार्क शामिल हैं, फरवरी में शुरू हो जाएगा और इस वर्ष जून तक इसके पूरा होने की उम्मीद है।

पीडब्ल्यूडी कराएगा टोटल स्टेशन सर्वे, उत्तरी रोड डिवीजन की एक सड़क के लिए 26 लाख का टेंडर जारी

सर्वे से पता लगाएंगे अतिक्रमण की स्थिति

वी के शुक्ला • नई दिल्ली

लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) अपने अंतर्गत आने वाली सड़कों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जे की स्थिति जानने के लिए टोटल स्टेशन सर्वे कराने पर विचार कर रहा है। डीडीए की एसटीएफ की ओर से उत्तरी दिल्ली की एक सड़क के लिए इसका सुझाव दिया गया था। डीडीए ने उत्तरी दिल्ली की रामदेव चौक से नरेला तक की सड़क का सर्वे कराने के लिए सुझाव दिया है, जिसके लिए विभाग ने टेंडर जारी की दिए हैं।

पीडब्ल्यूडी की दिल्ली में 1400 किलोमीटर लंबी सड़कें हैं। इन सड़कों पर भी कई जगह अतिक्रमण और अवैध कब्जा है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना के निर्देश के बाद अन्य विभागों के साथ लोक निर्माण विभाग ने भी अपनी जमीन खाली कराने के प्रयास शुरू किए हैं। विभाग अतिक्रमण को लेकर अपने अधिकारियों से जानकारी लेता रहता है, मगर अब इस मामले में एक विस्तृत सर्वे कराने पर विचार कर रहा है।

पीडब्ल्यूडी ने जारी किया 26 लाख का टेंडर: उत्तरी रोड डिवीजन की मुख्य सड़कों पर अतिक्रमण की स्थिति जानने के लिए सर्वे शुरू होने जा रहा है। इस कार्य के लिए विभाग ने टेंडर जारी कर दिया है। जिसकी 26 लाख 31 हजार 555 अनुमानित लागत है। टेंडर खोलने की तारीख आठ फरवरी है। रामदेव चौक से नरेला रेलवे क्रासिंग तक करीब चार किलोमीटर लंबी सड़क का टोटल स्टेशन सर्वे कराया जाएगा। इस मार्ग पर अतिक्रमण चिह्नित किया जाएगा। अतिक्रमण को हटाने में एसटीएफ की भी मदद ली जाएगी।

क्या होता है टोटल स्टेशन सर्वे, कैसे किया जाता है: टोटल स्टेशन एक इलेक्ट्रानिक या आप्टिकल उपकरण है, जिसका उपयोग आधुनिक सर्वेक्षण और भवन निर्माण में किया जाता है।

टोटल स्टेशनों का उपयोग मुख्य रूप से भूमि सर्वेक्षणकर्ताओं और सिविल इंजीनियरों की ओर से किया जाता है। सड़कों पर अतिक्रमण और अवैध कब्जों की स्पष्ट जानकारी के लिए भी इसका उपयोग किया जा सकता है।

ब्लैक स्पाट सुधार से सड़क दुर्घटनाओं में आई कमी

जासं, नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की ओर से सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए ब्लैक स्पाट को चिन्हित कर उनमें सुधार करने का असर सड़क दुर्घटनाओं पर दिखाई देने लगा है। राजधानी की सड़कों पर इस साल जनवरी में हुई दुर्घटनाओं में इस वर्ष जनवरी 2023 के मुकाबले कमी आई है। जनवरी 2023 के मुकाबले इस वर्ष जनवरी में हुई कुल सड़क दुर्घटनाओं में 2.7 प्रतिशत कमी रही है। सड़क हादसों में मरने वालों की संख्या में भी कमी देखने को मिली है। जनवरी में छोटी-बड़ी मिलाकर कुल 426 सड़क दुर्घटनाएं हुईं और 99 की मृत्यु हुई, जबकि पिछले साल जनवरी में 438 सड़क हादसे हुए थे और 116 लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी। दिन और रात के आंकड़ों की जांच करने पर पता चला कि अधिकांश सामान्य दुर्घटनाएं दिन में हुईं, जबकि भीषण दुर्घटनाएं रात में अधिक हुईं। जनवरी में दिन में जहां 34 भीषण हादसे तो वहीं रात में हुए भीषण हादसों की संख्या लगभग दो गुणा के करीब 61 रहीं।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

SUNDAY TIMES OF INDIA, NEW DELHI
FEBRUARY 4, 2024

'Tree officer's nod must for work in 2m radius'

New Delhi: Delhi High Court has directed that all agencies in the national capital will need the tree officer's permission to undertake civil work within a two-metre radius of any existing tree.

Justice Mini Pushkarna has ordered that the condition shall be incorporated into all work contracts and tenders issued by government agencies and there will be a strict penalty in case of non-compliance.

"This court directs that all the agencies which undertake civil works in Delhi shall, in future, incorporate in their work contracts and tenders issued for carrying out any civil works in Delhi the specific stipulation that in case any work is to be commenced, which is within a two-metre radius of any existing tree, the permission of the tree officer shall have to be taken as a mandatory condition," the court said in a recent order.

"The work contracts and tenders issued by the various government agencies shall also contain the specific stipulation that in case there is non-compliance of the aforesaid condition of taking permission from the tree officer, the same shall entail strict penalty," it added.

It added that the directives shall be strictly followed by the various government agencies in Delhi undertaking any civil work, including the Delhi Development Authority (DDA), Central Public Works Department (CPWD), Municipal Corporation of Delhi (MCD), Delhi Jal Board (DJB) and National Buildings Construction Corporation Limited (NBCCL). PTI

MCD pushes pilot project for road plan in 3 illegal colonies

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Municipal Corporation of Delhi has joined hands with Delhi Development Authority to expedite the approval of Road Network Plan (RNP) of three unauthorised colonies as a pilot project in the city.

According to officials, the RNPs of Khirki Extension in south Delhi, Saroop Nagar Extension in north Delhi and East Azad Nagar in east Delhi will be the first step in regularising approximately 1,800 unauthorised colonies.

The plan broadly suggests widening of roads in these colonies in three categories (6m, 9m, and 12m). "In the process, we will require to obtain land from the plots from unauthorised colonies. The funds for implementing the project is expected to be routed through DDA," said an MCD official.

Joining hands with DDA aims to streamline submission and processing of applications for the RNPs' layout, said the official, adding "We have already issued notice in this regard on Friday and now the civic body will also focus on enhancing efficiency and addressing the concerns of residents' welfare associations (RWAs), groups of landowners, and developer entities (DEs).

"We will encourage all stakeholders to review the proposed RNPs and provide their valuable suggestions or objections through the mentioned email ids within 30 days. MCD will diligently consider the feedback received before forwarding the finalised RNPs to the competent authority for approval," said the official. The last date of filing the objections or suggestions is Feb 24.

MCD's town planning department has already published the map plans proposing road widening in these colonies for feedback.

After the RNP notification on March 8, 2022, lack of participation from RWAs, landowners, and DEs was observed in submitting proposals to DDA or MCD. "Recognising the need for a renewed approach, DDA has collaborated with the MCD to devise RNPs of three colonies, in consultation with the School of Planning and Architecture," said the official.

DDA later forwarded RNPs of unauthorised colonies to MCD for approval. "These RNPs represent layouts for unauthorised colonies falling under the jurisdiction of MCD and are currently available for public feedback and suggestions on the website of MCD," said official.

The proposed RNP also specifies the colonies' boundaries, existing roads, proposed roads by widening and augmentation, and residential areas in addition to the location of govt institutions such as schools, Delhi Jal Board facilities and a proposed police station.

After long wait, DDA hopes to complete Ph I of Airport Drain Project by March

Vibha.Sharma
@timesgroup.com

New Delhi: Delhi Development Authority will complete work on phase I (1.4 km) of Airport Drain Project in this financial year.

The long-awaited project will address the problem of flooding of runways, terminals, surroundings of Indira Gandhi International (IGI) airport, and some parts of Dwarka. Lieutenant governor VK Saxena reviewed the project's status during a joint meeting last month.

The project, costing Rs 69 crore, included constructing a 2.8 km drain along the airport boundary wall (opposite sector 8, Dwarka) and was divided in two phases (1.4 km each). While the phase I drain is supposed to be connected to the upstream side of trunk drain 2, the phase II drain will be connected to the downstream side of the same drain. This will help in proper discharging of rainwater from IGI Airport.

The work on the project, conceived in 2019, started in Aug 2020. "It was getting stuck due to a delay in tree cutting permission from the forest department. However, after long efforts permission was granted and till date majority of work at the site has been completed. We are expecting that no issue of waterlogging will be reported this monsoon in and around the area," said an official earlier.

While the previous drain wasn't big enough to meet the requirements, the size of the new drain will be enough to ensure no water collection happened at the northern side of the airport, said officials.

"The size of the newly constructed drain is 20 metre*2 metre at major portion (under phase I) in comparison to size of old drain which was 2 metre*1 metre diameter. In phase 2, the size of the drain will be 12metre wide*2 metre deep. Work is also in progress at phase II of the drain also, however due to heavy traffic movement near the project site we have to work cautiously," said the official.

Earlier, a study was done for upgrading the drainage system in two phases after the airport authority approached DDA to resolve the waterlogging problem on its northern side. On the south side, PWD had already constructed a drain. "After completion of survey and other ground exercises, we moved for permission for tree translocation and related afforestation in Nov 2020 to the forest department," said officials.

Later on LG's direction, DDA moved high court seeking a direction to the department of environment, GNCTD for granting permission, which was granted on Aug 1, 2022.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS------ THE TIMES OF INDIA, NEW DELHI MONDAY, FEBRUARY 5, 2024 ----DATED----------

Mosque razed, madrassa students and residents pick up the pieces

Ridhima.Gupta@timesgroup.com

New Delhi: Having lost his only pair of slippers under the rubble of the demolished mosque, Mohammad Afzal was in the market on Friday to buy a new pair. "When the officials came to bring down our mosque and madrassa, we weren't given any time to collect our belongings," said the 12-year-old boy. I left the place barefoot in the cold. Today, the maulana gave us some money to buy new chappals."

Afzal is among the 20 children who lived and studied at the Behrul Uloom madrassa adjacent to the Akhunji Masjid in south Delhi's Mehrauli. The mosque, claimed to have been built in the 13th-century, was demolished by Delhi Development Authority on Jan 30.

Narrating what happened that morning, M Saad, 12, told **TOI**, "Like any other day, I woke up at 5am and was going to sit down for my morning study. I saw my friend who had just returned from the morning azaan and he looked terrified. He said that police and scores of people were coming towards our mosque. I could not understand what was happening, and then within an hour, they started demolishing our madrassa and mosque."

The demolition has left the students discouraged. Shoaib, 15, who will sit for his Class X exams this year, said, "I am scared now of not just my future, but also that of my friends at the madrassa. We received lessons on our laptops, but despite our pleading, the officials did not allow us to collect our laptops, not even our books."

Standing quietly in the corner, Asif, 9, the youngest student there, only hoped that he would one day get back the madrassa in the same place and with the same gates.

Zakir Hussain, imam of the Akhunji Masjid, said the children were mostly orphans. Hussain said he himself studied at the razed madrassa and was the imam for 13 years. "Even illegal occupiers of govt land get a notice for demolition and time to shift their belongings. None were given to us." The children have been moved to another madrassa around a kilometre away.

On the weekend, police had barricaded the roads leading to the mosque and were not allowing locals and media personnel into the area. Locals claimed that the mosque was a notified heritage structure though the madrassa was not.

There were also allegations that a graveyard had been affected during the demolition of the adjacent masjid. Nasir Ali, 65, the caretaker of the facility, claimed it was the final resting place of many people and there were many recent burials too. Some of the graves were broken during the demolition drive, he said.

Area resident Ikram, 68, said, "The demolition was carried out under heavy security and the rubble was collected and disposed of almost immediately. The whole place has been barricaded and police aren't allowing us to go inside even to pay respect to our deceased relatives at the graveyard."

DDA officials reasoned that the structure was in Sanjay Van, a reserved forest which is part of the Southern Ridge. As per the decision of Ridge Management Board, the Ridge area has to be freed of all encroachments, they claimed. In a statement, DDA said, "The removal of illegal structures, religious in nature, was approved by the Religious Committee."

Sohail Hashmi, a Delhi-based oral historian and heritage conservationist, told The Print that the mosque was one of the 3,000 monuments listed by the Archaeological Survey of India in 1920. The list was published in three volumes, titled *The Monuments of Delhi: Lasting Splendour of the Great Mughals and Others*. Hashmi said, "The idgah of old Delhi and Akhunji Masjid are mentioned in volume 3 of this list on pages 83 and 84. The British wanted to know what structures they could demolish to build the new city and maulvi Zafar Hasan, assistant superintendent of ASI in 1920, helped prepare the information on the history of these monuments for protection."

While the exact date of the structure's construction is unknown, there is a date in the list regarding its repair in 1217, said Hashmi, signifying it is at least a 13th-century structure. He pointed out that entry no. 133 on pages 83 and 84 was related to the idgah of old Delhi, which existed in the times of Timur, while entry no. 135 was the mosque of Akhunji, which existed in 1217 and thus meant that it was there during the Slave dynasty, post-Razia Sultan's era.

Piyal bhattacharjee

DISTRESSED: Local residents claimed that the demolished mosque was a notified heritage structure though the madrassa was not

---

संडे नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । 4 फरवरी 2024

एहतियात के लिए सभी जिलों के डीसीपी, पीसीआर यूनिट, ट्रैफिक पुलिस और साइबर यूनिट को किया सतर्क

अलर्ट पर पुलिस, माहौल बिगाड़ने की साज़िश का मिला इनपुट

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

दिल्ली पुलिस को हाई अलर्ट पर रखा गया है। इंटेलिजेंस इनपुट है कि बनारस में ज्ञानवापी परिसर को लेकर कोर्ट का आदेश, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि से सटे शाही ईदगाह को लेकर विवाद और दिल्ली के महरौली में कथित अखुंदजी मस्जिद को ढहाए जाने के बाद देश विरोधी ताकतें माहौल खराब करने की साजिश रच रही हैं।

इनपुट के बाद दिल्ली में सभी जिलों के डीसीपी, पीसीआर यूनिट, ट्रैफिक पुलिस और साइबर यूनिट को अतिरिक्त चौकसी और शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखने को कहा गया है। अंदेशा है कि छिटपुट विवाद की आड़ में भी गड़बड़ी फैलाई जा सकती है। इंटेलिजेंस इनपुट में कहा गया है कि 31 जनवरी को कोर्ट ने श्रद्धालुओं को ज्ञानवापी मस्जिद में 'व्यास का तहखाना' के अंदर पूजा करने की अनुमति दी है। वहां पूजा भी शुरू हो चुकी है। हाल ही में शाही ईदगाह मस्जिद से जुड़ा विवाद भी बढ़ रहा है। इसके अलावा महरौली में कथित एक पुरानी मस्जिद को अतिक्रमण के तहत डीडीए ने 30 जनवरी को गिरा दिया। इनपुट में कहा गया है कि तमाम राजनीतिक और धार्मिक प्रतिक्रियाओं के बीच सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों को भड़काने की कोशिश हो रही है। ऐसी आशंका है कि कुछ शरारती तत्व धार्मिक स्थलों में जबरदस्ती घुसने की कोशिश कर सकते हैं। इंटेलिजेंस की तरफ से हिदायत दी गई है कि तमाम धार्मिक संगठनों और संवेदनशील इलाकों में विशेष नजर रखी जाए। किसी भी अप्रिय घटना से बचने के लिए अलर्ट मोड पर रहें।

■ पुलिस को अतिरिक्त चौकसी और शरारती तत्वों पर पैनी नजर रखने को कहा गया

■ अंदेशा है कि छिटपुट विवाद की आड़ में भी गड़बड़ी फैलाई जा सकती है

संवेदनशील इलाकों में पिकेट, पेट्रोलिंग, पीसीआर की तैनाती

महत्वपूर्ण धार्मिक स्थानों पर सादे कपड़ों में सुरक्षाकर्मी तैनात रखे जाएं। साथ ही जुमे की नमाज के दौरान सभी धार्मिक स्थलों के आसपास पर्याप्त पुलिस इंतजाम करने को कहा गया है। अमन कमेटी, नागरिक सुरक्षा समिति, धार्मिक स्थलों की प्रबंध समितियों और भाईचारा कमेटी के साथ मीटिंग करने को कहा गया है। संवेदनशील इलाकों में पिकेट, पेट्रोलिंग, पीसीआर वैन की तैनाती रहेगी। खासकर उन सभी पर पैनी नजर रखी जाएगी जो पहले भी सीएए/एनआरसी प्रोटेस्ट और माहौल को बिगाड़ने में शामिल थे। हर एक प्रोटेस्ट की फोटोग्राफी की जाएगी। ड्रोन पेट्रोलिंग के माध्यम से संवेदनशील इलाकों की सभी छतों पर नजर रखने को कहा गया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS----- नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 5 फरवरी 2024

बायोडायवर्सिटी पार्कों में इस बार कम दिखीं पक्षियों की प्रजातियां

सिर्फ यमुना, कालिंदी बायोडायवर्सिटी पार्क में आए ज़्यादा प्रजातियों के परिंदे

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

इस बार सर्दियों का मौसम दिल्ली के लिए थोड़ा अलग रहा। दिसंबर के अंत तक यहां सर्दियों का रंग हल्का रहा, वहीं जनवरी में ठंड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दीं। जनवरी की शुरुआत में ही सर्दियों का रंग कुछ ऐसा दिखा कि फरवरी में भी ठंड कम होने का नाम नहीं ले रही है। सर्दियों के इस बदले रंग का असर दिल्ली के सभी बायोडायर्सिटी पार्कों में आनेवाले परिंदों पर भी दिख रहा है।

बिग बर्ड डे (4 फरवरी) के मौके पर डीडीए के सभी सातों बायोडायवर्सिटी पार्कों में पक्षियों की प्रजातियों का पता लगाने के लिए सेंसस हुआ। इस सेंसस में स्टूडेंट्स, वैज्ञानिक, प्रफेसर, डॉक्टरों आदि ने हिस्सा लिया। बर्ड एक्सपर्ट की निगरानी में इनके छोटे-छोटे ग्रुप बनाए गए। सुबह 9 से 11 बजे तक बायोडायवर्सिटी पार्कों में इन ग्रुप्स ने पक्षियों की प्रजातियों का पता लगाया।

दुर्लभ पक्षी भी दिखे

इस दौरान कुछ पार्कों में कभी-कभी नजर आने वाले दुर्लभ पक्षी भी दिखाई दिए। बिग बर्ड डे के आयोजक निखिल देवस्कर ने बताया कि यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में पलास गल, रम्प्ड फ्लेमबैक के अलावा यूरेशियन विजन भी दिखाई दिया। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क में कॉलर्ड स्कॉप्स उल्लू देखा गया। वहीं, तिलपथ वैली पार्क में भी पक्षियों की संख्या काफी अधिक रही। दिल्ली के सात बायोडायवर्सिटी पार्क लगभग तीन हजार एकड़ क्षेत्र में फैले हुए हैं। इनमें यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क (साल 2002) सबसे पुराना है। वहीं, कालिंदी कुंज बायोडायवर्सिटी पार्क (साल 2019) सबसे नया है। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क के डॉ. एम शाह हुसैन ने बताया कि सर्दियों के दौरान यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में यूरोप, साइबेरिया, मध्य एशिया और चीन से प्रवासी पक्षियों की लगभग 30 प्रजातियां आती हैं। इन पक्षियों में फेरुजिनस पोचार्ड, यूरेशियन विजन भी शामिल हैं। रफ, करलू, सैंडपाइपर, बार हेडेड गीज, ग्रे लैग गीज जैसे पक्षी कालिंदी बायोडायवर्सिटी पार्क में दिखाई देते हैं।

बिग बर्ड काउंट 2024

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
यमुना बायोडायवर्सिटी	103	98	83	101	102	102	87
अरावली बायोडायवर्सिटी	63	46	54	46	73	62	58
तिलपथ वैली बायोडायवर्सिटी	45	53	43	49	43	36	46
कमला नेहरू रिज	49	59	59	60	58	67	57
नीला हौज बायोडायवर्सिटी	27	22	33	38	20	19	33
तुगलकाबाद बायोडायवर्सिटी	55	49	53	51	55	47	46
कालिंदी बायोडायवर्सिटी	-	-	40	80	69	93	70

NBT Lens बदलाव का कारण क्या?

समझिए खबरों के अंदर की बात

दिल्ली-एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में इस साल मौसमी बदलाव और उसका असर साफतौर से देखा जा रहा है। इसका असर पक्षियों की आमद पर भी पड़ा है। पक्षियों का माइग्रेशन जैव विविधता को बनाए रखने में बेहद अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इस साल मौसमी बदलावों के चलते एक तो माइग्रेटरी बर्ड देरी से आए और आए भी तो उनकी कई प्रजातियां नजर नहीं आई हैं। इसके अलावा दिल्ली-एनसीआर में धड़ल्ले से हो रहे कंस्ट्रक्शन, गाड़ियों के धुंए से बढ़ता प्रदूषण, यमुना में बढ़ रही गंदगी और वेटलैंड का कम होते जाना भी पक्षियों की आमद पर असर डाल रहा है। इसके चलते पक्षियों का प्रजनन भी प्रभावित हो रहा है।

द्वारका : पार्क में खराब पड़ी हैं ओपन जिम की कई मशीनें

■ एनबीटी न्यूज, द्वारका: द्वारका सेक्टर-16 के डीडीए पार्क में लगे ओपन जिम की मशीनें रखरखाव के अभाव में डैमेज हो गई हैं। लोगों का कहना है कि डीडीए का सेक्टर-16 स्थित यह एक बेहद खास पार्क है। यहां सुबह लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं। वहीं, शाम को भी लोगों के आने का सिलसिला यहां जारी रहता है, लेकिन आरोप है कि डीडीए की तरफ से पार्क के रखरखाव पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

NBT सुरक्षा कवच

द्वारका सेक्टर-18 एनबीटी सुरक्षा कवच ग्रुप के सदस्य सुभाष यादव ने बताया कि पार्क में लगाई गई जिम की मशीनें करीब दो महीने से खराब हैं। इन मशीनों के टूटने की वजह से यह कई बार लोगों के लिए चोट की वजह बन जाती है। इसको लेकर विभाग से शिकायत की गई, लेकिन अब तक इस ओर कोई एक्शन नहीं हो सका है। लोगों की मांग है कि डीडीए को पार्क की मेंटिनेंस पर ध्यान देना चाहिए।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली । सोमवार, 5 फरवरी 2024

लोगों का कहना, रीडिवेलपमेंट में इलाके की हरियाली को आंच न आए

40 साल पुरानी मयूर विहार फेज़-1 की डीडीए पॉकेट-1 मांग रही रीडिवेलपमेंट

NBT कायापलट
घर वही, सूरत नई

समय के साथ पुरानी हो चुकी सोसायटियों और अपार्टमेंट के लिए रीडिवेलपमेंट प्लान को लेकर एनबीटी अपनी खास मुहिम के तहत रविवार को मयूर विहार फेज-1 के डीडीए पॉकेट-1 में पहुंचा।

1. अपार्टमेंट में ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है
2. बरसात के पानी की निकासी के लिए यहां कोई इंतजाम नहीं है
3. लोगों ने अपने हिसाब से रिपेयर करवाया है, इसलिए बाहर से सोसायटी भद्दी दिखती है

■ विशेष संवाददाता, नई दिल्ली

मयूर विहार फेज-1 के डीडीए पॉकेट-1 को बने करीब 45 साल हो चुके हैं। इस दौरान लोग रिपेयर वर्क के नाम पर अपने फ्लैट्स में कहीं अधिक निवेश कर चुके हैं। कई फ्लैट मालिकों ने जरूरत के हिसाब से फ्लैट को मॉडिफाई भी करवाया है। रीडिवेलपमेंट पर यहां की आरडब्ल्यू कहती है कि बेहतर सुविधा और समय की जरूरत के हिसाब से रीडिवेलपमेंट की जरूरत है। लेकिन यह काम इतना आसान नहीं है। सभी लोगों के इसके लिए अपने सवाल हैं और उन सवालों के जवाब डीडीए को देने होंगे। इसके बिना यह काम संभव नहीं हो पाएगा।

इस इलाके के लोगों के अनुसार, यमुना खादर में बना यह पॉकेट दिल्ली के मेन एरिया में है। यहां पर प्रॉपर्टी के रेट काफी अधिक हैं। अपार्टमेंट में ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है। पॉकेट में करीब 1568 फ्लैट हैं। अब रीडिवेलपमेंट के नाम पर उन्हें ऐसा प्लान हरगिज नहीं चाहिए कि यहां कम उंचाई वाली बिल्डिंगों की जगह दस से पंद्रह मंजिला इमारतें खड़ी हो जाएं। लोगों के अनुसार, इससे यहां का पर्यावरण खराब होगा। उनकी पॉकेट इस समय काफी हरी-भरी है। पिछले कई सालों में यह साबित हुआ है कि मयूर विहार गर्मियों के दौरान राजधानी से चार से पांच डिग्री तक ठंडा रहता है। यदि यहां हाईराइज बिल्डिंग बनी तो जमीन पर दबाव बढ़ेगा।

लोगों के अनुसार, रीडिवेलपमेंट के लिए ऐसा प्लान बनाया जाए जो लोगों के हितों में हो। विभाग अपने और बिल्डर के हित सोचे, लेकिन वह जनता के बाद आए। ग्राउंड फ्लोर समेत तीन मंजिला इमारत की जगह यदि दस फ्लोर खड़े किए जाएंगे तो यहां के फ्लैट ओनर को भी उसी हिसाब से शेयर मिलना चाहिए। नए फ्लैट्स किसे बचे जाएंगे, नए फ्लैट मालिकों की तुलना में पुराने फ्लैट मालिकों को क्या अतिरिक्त सुविधाएं मिलेंगी, इन सबको लेकर डीडीए को एक पॉलिसी बनाने की दरकार है।

> लोगों का कहना, रीडिवेलपमेंट के नाम पर इस इलाके में हाईराइज बिल्डिंग नहीं चाहिए

पार्किंग नहीं है

लोगों के अनुसार, जब यह पॉकेट बनी थी तो हर फ्लैट के साथ एक स्कूटर पार्किंग दी गई थी। आज के दौर में यह स्कूटर पार्किंग बेकार है। कार पार्किंग है नहीं। बिल्डिंगों में लगा सरिया, लेंटर अपनी लाइफ पूरी कर चुका है। यहां पर सभी लोग अपने फ्लैट की पूरी रिपेयरिंग करवा चुके है, सरिया भी लगभग नया डल चुका है। बरसात के पानी की निकासी के लिए यहां कोई इंतजाम नहीं है। लिफ्ट नहीं है, पार्किंग नहीं है। बीएसईएस और जल बोर्ड के स्थानीय ऑफिस इसी पॉकेट में हैं। इसके चलते आसपास के लोग भी यहां आते है और समस्या बढ़ती है। लोगों के पास समारोह के लिए कोई जगह नहीं है। लोगों ने अपने हिसाब से रिपेयर करवाया है, इसलिए बाहर से सोसायटी भद्दी दिखती है।

क्या फायदा मिलेगा?

सबसे अच्छी बात यह रही कि यहां एनबीटी की इस मुहिम में पॉकेट-1 आरडब्ल्यूए के कई लोग शामिल हुए। सभी ने अपनी अपनी बातें रखीं और एक स्वस्थ चर्चा हुई। इसे देखकर लगा कि लोग यहां रीडिवेलपमेंट चाहते हैं और इसे लेकर अवेयर भी हैं। आरडब्ल्यूए के वाइस प्रेजिडेंट पूरन कांडपाल ने कहा कि रीडिवेलपमेंट में यहां के पर्यावरण का खयाल रखा जाना चाहिए।

दिल्ली में इतने हरे-भरे और खुले इलाके कम है। इसलिए यहां हाईराइज के नाम पर आबादी नहीं बढ़ानी चाहिए। रीडिवेलपमेंट के लिए क्या विकल्प है, क्या पॉलिसी है यह डीडीए को बताना चाहिए। आरडब्ल्यूए के ट्रेजरार गुरमत पाल सिंह ने कहा कि रीडिवेलपमेंट होगा तो मौजूदा समय के हिसाब से सुविधासंपन्न अपार्टमेंट बनेगा। लेकिन लोगों का सबसे बड़ा मसला यह है कि यह होगा कैसे? उन्हें इससे क्या फायदा मिलेगा?

लोगों की राय

> पुरानी पॉकेट के लिए लोगों के हितों को ध्यान में रखकर डीडीए प्लान बनाए। लोगों को उनके सवालों के जवाब मिले, तभी बात आगे बढ़ सकती है। साथ ही, एक बड़ा कंसर्न यह है कि अतिरिक्त फ्लैट्स में किसे बसाया जाएगा।
> *-शालिनी*

> आरडब्ल्यूए रीडिवेलपमेंट चाहती तो है, लेकिन इसका प्लान कुछ इस तरह से बने कि जो लोग यहां सालों से रह रहे हैं, उन्हें उनका पूरा हक मिले। यहां पर ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और थर्ड फ्लोर वालों की अलग अलग मांगें हैं।
> *-सुनील गर्ग, आरडब्ल्यूए प्रेजिडेंट*

> लोग रीडिवेलपमेंट चाहते हैं। वह भी अच्छे फ्लैट्स चाहते हैं। ऐसा होने से प्रॉपर्टी की लाइफ और कीमत दोनों बढ़ेगी। लेकिन इसके लिए सबसे पहले डीडीए लोगों की बातों को सुनकर एक ड्राफ्ट तैयार करे।
> *-संजय शर्मा*

सवालों के जवाब भी

अगर रीडिवेलपमेंट को लेकर मन में कोई सवाल है तो उनका जवाब भी हम एक्सपर्टस की मदद से देंगे। रीडिवेलपमेंट पर अपनी राय, सुझाव और सवाल आप ईमेल भी कर सकते हैं। अपना नाम, मोबाइल नंबर और अपने बारे में जरूरी जानकारी nbtreader@timesgroup.com पर भेज दें। सब्जेक्ट में Redevelopment जरूर लिखें।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

दैनिक जागरण
नई दिल्ली, 5 फरवरी, 2024
NAME OF NEWSPAPERS----------DATED----------

बिना नोटिस ध्वस्तीकरण नहीं कर सकता डीडीए : कोर्ट

विनीत त्रिपाठी • नई दिल्ली

करोल बाग स्थित याचिकाकर्ता के मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पर रोक लगाने के साथ ही हाई कोर्ट ने की टिप्पणी

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी मर्जी से कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकता है। ऐसी कार्रवाई शुरू करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए और आपत्तियों का समाधान करना चाहिए। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह की पीठ ने यह टिप्पणी के साथ याचिककर्ता बाल किशन गुप्ता की याचिका स्वीकार करते हुए डीडीए को करोल बाग इलाके में स्थित उनके घर को ध्वस्त करने से रोक दिया। अदालत ने डीडीए को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना बाल किशन गुप्ता को संपत्ति से बेदखल करने से रोक दिया। अदालत ने याची को पूर्व सूचना या कारण बताओ नोटिस के बिना ध्वस्त करने की डीडीए की कार्रवाई को न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। याची ने दावा किया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले उन्हें कोई कारण बताओ नोटिस या सूचना नहीं दी गई थी।

अदालत ने नोट किया कि याची ने एक पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत संपत्ति पर कब्जा लिया था, इसलिए पूर्व सूचना या कारण बताओ नोटिस के बगैर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। वहीं, डीडीए ने दावा किया कि याचिकाकर्ता एक अनधिकृत कब्जेदार था और उसका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था। इस वजह से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई वैध थी। डीडीए के तर्क को ठुकराते हुए अदालत ने कहा कि यह निर्विवाद है कि याची को अधिकारियों के समक्ष अपना पक्ष पेश करने की अनुमति नहीं दी गई। अदालत ने कहा कि डीडीए निर्णायक रूप से यह दिखाने में विफल रहा कि जमीन सरकार की थी और यह दिखाने के लिए रिकार्ड पर कुछ भी नहीं था कि संपत्ति नजूल भूमि का हिस्सा है।

पेड़ के दो मीटर दायरे में निर्माण को वृक्ष अधिकारी से लेनी होगी अनुमति

जासं, नई दिल्ली: राष्ट्रीय राजधानी में सभी एजेंसियों को किसी भी पेड़ के दो मीटर के दायरे में सिविल कार्य करने के लिए वृक्ष अधिकारी की अनुमति लेना जरूरी होगा। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट ने यह आदेश पारित किया। न्यायमूर्ति मिनी पुष्करणा की पीठ ने आदेश दिया कि इस शर्त को सरकारी एजेंसियों की ओर से जारी सभी कार्य अनुबंधों और निविदाओं में शामिल किया जाएगा। आदेश का अनुपालन न करने पर जुर्माना लगाया जाएगा।

अदालत ने यह आदेश सड़क के किनारे पेड़ों के संरक्षण से संबंधित कानून और आदेशों का अनुपालन नहीं करने के आरोप पर नई दिल्ली नेचर सोसायटी की ओर से दायर एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। अदालत ने निर्देश दिया कि इस आदेश का पालन डीडीए, सीपीडब्ल्यूडी, एमसीडी, डीजेबी, एनबीसीसीएल सहित सभी सरकारी एजेंसियों को करना होगा।

हिन्दुस्तान
नई दिल्ली, सोमवार, 5 फरवरी 2024

यमुना पार्क में सर्वाधिक प्रजातियों के परिंदे दिखे

नई दिल्ली, प्रमुख संवाददाता। दिल्ली के बायोडायवर्सिटी पार्कों में रविवार को बिग बर्ड डे के अवसर पर पक्षियों की प्रजातियों को गिना गया। सुबह बारिश के चलते बीते वर्ष के मुकाबले कम प्रजातियां दिखाई दीं। इस दौरान यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में पलास गल और ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक के अलावा यूरेशियन विजन सहित सबसे अधिक 87 प्रजातियों के परिंदे देखे गए।

अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क ने कॉलरड स्कॉप्स उल्लू की उल्लेखनीय उपस्थिति दर्ज की। डीडीए ने पर्यावरण में सुधार के लिए जैव विविधता पार्कों की स्थापना की है। अभी दिल्ली में सात जैव विविधता पार्कों की शृंखला है, जो लगभग 3000 एकड़ में फैले हुए हैं। इनमें सबसे पुराना यमुना जैव विविधता पार्क है, जो वर्ष 2002 में बना था। सर्दियों में यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में यूरोप, साइबेरिया, मध्य एशिया और चीन से प्रवासी पक्षियों की लगभग 30 प्रजातियां आती हैं। सभी पार्कों में छात्रों, वैज्ञानिकों, कॉलेज शिक्षकों, चिकित्सा पेशेवर और पत्रकारों ने पक्षियों की गणना में हिस्सा लिया।

कहां कितनी प्रजातियां मिलीं

बायोडायवर्सिटी पार्क	पक्षियों की प्रजातियां
यमुना	87
कालिंदी	70
अरावली	58
तिलपथ वैली	46
कमला नेहरू रिज	57

डीडीए पौधरोपण कार्य शुरू करेगा

नई दिल्ली, वरिष्ठ संवाददाता। दिल्ली में बीते वर्ष यमुना में आई बाढ़ के कारण यमुना नदी किनारे के डूब क्षेत्र को काफी क्षति पहुंची है। यहां पर डीडीए ने हजारों पौधों को लगाया था। अब इन डूब क्षेत्र में पौधों को लगाने का काम शुरू किया जाएगा।

अप्रैल तक सभी पौधों को लगाने के काम को पूरा करने की योजना बनाई गई है। इस संबंध में डीडीए के अधिकारियों ने बताया कि बीते वर्ष आई बाढ़ ने यमुना के डूब क्षेत्रों के पर्यावरण विकास संरक्षण के काम पर असर डाला है। चार वर्षों में लाखों पेड़-पौधों को नुकसान पहुंचा है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

WWW.INDIANEXPRESS.COM
THE INDIAN EXPRESS, MONDAY, FEBRUARY 5, 2024

Calling it illegal, DDA demolished mosque in Mehrauli; ASI records listed it a century ago

The Akhoondji Masjid was demolished on January 30. *File*

VIDHEESHA KUNTAMALLA
NEW DELHI, FEBRUARY 4

NO ONE'S quite sure when the Akhoondji Masjid was built in Mehrauli. But the "Mosque of Akhondji" was listed in a 1922 publication by an officer of the Archaeological Survey of India who recorded that while its construction date was "unknown", the mosque was repaired in "1270 AH (1853-4 AD)", and that it lay west to to an old Idgah that "existed when Timur invaded India in 1398 AD".

On January 30, the Delhi Development Authority (DDA) razed the Akhoondji mosque and a madrasa, describing them as "illegal structures" in Sanjay Van, a reserved forest area. "Removal of the illegal structures, religious in nature, was approved by the Religious Committee, conveyed vide Minutes of Meeting dated 27/01/2024," the DDA said.

On January 31, the Delhi High Court sought an explanation from the DDA on the basis of which it demolished the mosque, and "whether any prior notice was given before taking the demolition action".

CONTINUED ON PAGE 2

www.livehindustan.com
नई दिल्ली, रविवार, 4 फरवरी 2024

डीडीए फ्लैट की ई-नीलामी पांच फरवरी से शुरू

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के आरामदायक फ्लैटों की ई-नीलामी का दूसरा चरण के तहत फ्लैटों की ई-नीलामी 5 फरवरी को शुरू होगी। यह ई-नीलामी प्रकिया 10 फरवरी तक जारी रहेगी। जिन आवेदनकर्ता इन फ्लैटों के लिए पंजीकरण कराया है और फ्लैटों की तय की गई बयाना राशि को जमा करा दिया है। वह आवेदनकर्ता डीडीए की वेबसाइट में जाकर ई-नीलामी प्रकिया में हिस्सा ले सकेंगे। इस संबंध में डीडीए के कॉल सेंटर के नंबर 1800110332 पर कॉल करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

• Mosque razed in Mehrauli listed by ASI a century ago

The DDA was told by the High Court to reply within a week, and the next hearing is scheduled for February 12.

Historians and activists point out that the Sanjay Van was notified as a reserved forest area only in 1994, so how could the old mosque have been an encroachment.

The DDA's own document on the Sanjay Van states, "Sanjay Van is a part of Mehrauli/South central ridge of Delhi... To protect and develop this heritage into a green belt, DDA in the 70s carved this area of 784 acres now called Sanjay Van... One can approach Sanjay Van (a notified reserve forest as per the 1994 notification under section 4 of the Indian Forest Act 1927) from Aruna Asaf Ali Marg... or from Qutub Institutional area..."

According to the 'List of Muhammadan and Hindu Monuments, Volume III' by Maulvi Zafar Hasan, Assistant Superintendent, Archaeological Survey of India, published in 1922, the "Mosque of Akhondji" was "some 100 yards to the west of Idgah" that "existed when Timur invaded India in 1398 AD".

It recorded this about the mosque: "Date of building unknown, date of repair 1270 AH (1853-4 AD)."

It mentioned that on a red sandstone slab fixed over the central arch, the following words were engraved (translation):

"He is high and most powerful. (1) O Zafar! When Akhondji repaired this old mosque and cleared it, (2) He enquired of wisdom the date of repair, it said, 'Praise be to good and religious man'. The year 1270."

The entry went on to describe the structure:

"The mosque covered with an arched roof and entered through three arches supported on double pillars of grey local stone is 21'2" by 13'8" I.M. It is built of rubble masonry plastered. The floor of the prayer chamber together with that of the courtyard is also coated with plaster. The courtyard, which is enclosed by a wall, measures 36'9" by 20' and is entered through a doorway on the north."

Author Sohail Hashmi said, "It was a functioning mosque and... was in existence before Sanjay Van forest land came into existence in 1994, and that is why these buildings were not encroachments."

Historian Rana Safvi, who has written extensively on the history of Mehrauli, in a post on X, said this on the demolition of the Akhoondji mosque: "Though the date of building is unknown, it was repaired in 1853-4. The chronogram for repair seems to have been written by Emperor Shah Zafar as in 1270 A.H./1853-4 he was the only one using the takhallus of Zafar." She too quoted the translation of the chronogram on the red sandstone slab.

Six days after the DDA action, all that remains is the spot where the mosque once stood. Heavily barricaded.

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

शनिवार • 3 फरवरी • 2024 | राष्ट्रीय सहारा | www.rashtriyasahara.com | --DATED--

एमसीडी ने अनधिकृत कॉलोनियों की आरएनपी के बारे में मांगे सुझाव

■ नई दिल्ली (एसएनबी)।

राजधानी में अनधिकृत कॉलोनियों के लिए रोड नेटवर्क योजना (आरएनपी) की मंजूरी में तेजी लाने के प्रयास की दिशा में काम कर रहे दिल्ली नगर निगम ने एक अग्रणी पायलट परियोजना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ हाथ मिलाया है।

इस परियोजना का उद्देश्य दक्षता बढ़ाने और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन, भूमि मालिकों के समूहों और डेवलपर संस्थाओं (डीई) आदि की चिंताओं के बारे में ध्यान देने के साथ आरएनपी के लेआउट के लिए आवेदन जमा करने और प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करना है।

डीडीए द्वारा आठ मार्च, 2022 को जारी अधिसूचना के बाद संज्ञान में आया कि डीडीए के तैयार आवेदन प्रारूप के बावजूद डीडीए

■ निगम ने तीन कॉलोनियों के आरएनपी तैयार करने के पायलट प्रोजेक्ट के लिए डीडीए के साथ किया सहयोग

■ 24 फरवरी तक नागरिक दर्ज करा सकते हैं आपत्तियां

एवं निगम को प्रस्ताव प्रस्तुत करने में आरडब्ल्यूए, भूमि मालिकों और डेवलपर संस्थाओं की भागीदारी में कमी रही है। इस दिशा में नए दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हुए डीडीए ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के परामर्श से तीन कॉलोनियों के आरएनपी तैयार करने के लिए दिल्ली नगर निगम के साथ सहयोग किया है। डीडीए ने इन आरएनपी को अग्रिम प्रक्रिया और अनुमोदन के लिए निगम के पास भेज दिया है, जो कि अनधिकृत कॉलोनियों के आरएनपी का निर्माण करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यह आरएनपी दिल्ली नगर निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली तीन अनधिकृत कॉलोनियों खिड़की एक्सटेंशन मालवीय नगर (पंजीकरण संख्या 897), स्वरूप नगर एक्सटेंशन के डब्ल्यूएक्सवाईजेड ब्लॉक भाग- ईस्ट विलेज लिबासपुर (रजि. नंबर 904) और ईस्ट आजाद नगर (रजि. नंबर 53-ईएलडी) के लेआउट का प्रतिनिधित्व करते हैं, जो कि वर्तमान में निगम की वेबसाइट पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया और सुझावों के लिए उपलब्ध है। नागरिकों द्वारा आपत्ति/सुझाव दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी है।

दैनिक भास्कर

एमसीडी ने 3 अनधिकृत कॉलोनियों में आरएनपी की मंजूरी को सुझाव मांगे

नई दिल्ली | एमसीडी ने 3 अनधिकृत कॉलोनियों के लिए सड़क नेटवर्क योजना (आरएनपी) की मंजूरी के लिए नागरिकों के सुझाव मांगे हैं, जिसकी लास्ट डेट 24 फरवरी है। इस परियोजना का उद्देश्य दक्षता बढ़ाने और आरडब्ल्यूए, भूमि मालिकों के समूहों और डेवलपर संस्थाओं की चिंताओं को संबोधित करने पर ध्यान देने के साथ आरएनपी के लेआउट के लिए आवेदन जमा करने और प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करना है। इसके लिए एमसीडी ने डीडीए से हाथ मिलाया है। डीडीए ने इन आरएनपी को आगे की प्रक्रिया व अनुमोदन को एमसीडी को भेज दिया है।

पंजाब केसरी DELHI 3 फरवरी, 2024

7 फरवरी से शुरू होगा फेस्टिवल धमाका स्कीम का दूसरा फेज

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली में अपने आशियाना पाने का सपना देखने वालों के लिए अच्छी खबर है। अपनी पसंद का घर प्राप्त करने के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) लोगों को एक और सुनहरा अवसर देने जा रहा है। डीडीए सात फरवरी को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर अपनी फेस्टिवल धमाका योजना का दूसरा फेज लॉन्च कर रहा है। इसके तहत सुबह 11 बजे से बुकिंग शुरू होगी। इस दौरान लोग अपनी पंसद का फ्लैट बुक कर सकते हैं। इस ऑनलाइन हाउसिंग स्कीम में ईडब्ल्यूएस, एमआईजी व एलआईजी श्रेणी के फ्लैट उपलब्ध हैं। डीडीए अधिकारियों ने बताया कि द्वारका सेक्टर 19बी में ईडब्ल्यूएस, लोक नायक पुरम पॉकेट ई में एमआईजी, नरेला के सेक्टर जी-2 पॉकेट 3 में ईडब्लूएस व एलआईजी, नरेला के सेक्टर जी-2 पॉकेट 5 में ईडब्लूएस व एलआईजी व नरेला के सेक्टर जी-2 पॉकेट 6 में ईडब्लूएस व एलआईजी मौजूद हैं।

महरौली : मस्जिद तोड़े जाने पर कोर्ट ने डीडीए से मांगा जवाब

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी): दिल्ली हाईकोर्ट ने महरौली इलाके में 600 साल पुरानी मस्जिद को ध्वस्त किए जाने के मामले में दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) से जवाब मांगा है और पूछा है कि मस्जिद को तोड़ने करने का आधार क्या था। न्यायमूर्ति सचिन दत्ता ने एक सप्ताह के भीतर डीडीए से जवाब मांगा है और यह भी पूछा है कि क्या विध्वंस कार्रवाई करने से पहले कोई पूर्व सूचना दी गई थी। बता दें कि अदालत मदरसा बहरुल उलूम और विभिन्न कब्रों के साथ-साथ मस्जिद के

विध्वंस के खिलाफ दायर एक तत्काल आवेदन पर विचार कर रही थी। यह आवेदन दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति द्वारा दायर एक याचिका में दायर किया गया है, जो 2022 से लंबित है। दिल्ली वक्फ बोर्ड की प्रबंध समिति ने कहा है कि मस्जिद और मदरसे को 30 जनवरी को निर्लज्ज तरीके से ध्वस्त कर दिया गया था। यह दावा किया गया है कि मस्जिद के इमाम जाकिर हुसैन और उनके परिवार को आश्रय के बिना छोड़ दिया गया था और उनकी झोपड़ी भी ध्वस्त कर दी गई थी। वहीं सुनवाई के दौरान डीडीए के वकील ने कहा कि विध्वंस की कार्रवाई 4 जनवरी की धार्मिक समिति की सिफारिशों के अनुसार की गई थी।

सड़क नेटवर्क योजना के लिए निगम ने मांगे सुझाव व आपत्ति

नई दिल्ली, (पंजाब केसरी) : दिल्ली में अनधिकृत कॉलोनियों के लिए सड़क नेटवर्क योजना की मंजूरी में तेजी लाने के प्रयास की दिशा में काम कर रही दिल्ली नगर निगम ने एक अग्रणी पायलट परियोजना के लिए डीडीए के साथ हाथ मिलाया है। इस परियोजना का उद्देश्य दक्षता बढ़ाने और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), भूमि मालिकों के समूहों और डेवलपर संस्थाओं (डीई) की चिंताओं को संबोधित करने पर ध्यान देने के साथ आरएनपी के लेआउट के लिए आवेदन जमा करने और प्रसंस्करण को सुव्यवस्थित करना है। डीडीए द्वारा 8 मार्च 2022 को जारी की गई अधिसूचना के बाद यह संज्ञान में आया कि डीडीए द्वारा तैयार आवेदन प्रारूप के बावजूद डीडीए एवं दिल्ली नगर निगम को प्रस्ताव प्रस्तुत करने में आरडब्ल्यूए, भूमि मालिकों और डेवलपर संस्थाओं (डीई) की भागीदारी में कमी रही है। इस दिशा में नए दृष्टिकोण की आवश्यकता को पहचानते हुए डीडीए ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के परामर्श से तीन कॉलोनियों के आरएनपी तैयार करने के लिए दिल्ली नगर निगम के साथ सहयोग किया है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

amarujala.com
शनिवार, 3 फरवरी 2024

यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में मनाया विश्व आर्द्रभूमि दिवस

छात्रों से आर्द्रभूमि के संरक्षण और कायाकल्प में भाग लेने की अपील

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में विश्व आर्द्रभूमि दिवस मनाया गया। इस वर्ष की थीम आर्द्रभूमि और मानव कल्याण थी। इसमें आर्द्रभूमि संरक्षण को प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया गया।

डीडीए के वित्त सदस्य विजय कुमार सिंह कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे। कार्यक्रम में शोधार्थियों, शिक्षाविदों, प्रकृति प्रेमियों के साथ दिल्ली विश्वविद्यालय के विभिन्न कॉलेजों और अन्य शैक्षणिक संस्थानों के 500 से अधिक छात्रों ने भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान विश्व भर के विभिन्न क्षेत्रों से उत्तरी शॉवेलर, उत्तरी पिनटेल्स, ग्रेट कॉर्मोरेंट्स, गडवाल, टील्स जैसे कई प्रवासी पक्षियों की उपस्थिति के कारण पार्क की आर्द्रभूमि मुख्य आकर्षण का केंद्र रही।

दिल्ली बायोडायवर्सिटी प्रोग्राम के इंचार्ज साइंटिस्ट डॉ. फैयाज ए खुदसर ने रामसर कन्वेंशन के उपलक्ष्य में विश्व आर्द्रभूमि दिवस और यमुना जैव विविधता पार्क में बहाल आर्द्रभूमि के महत्व को बताया। उन्होंने भू-जल पुनर्भरण, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने और पर्यावरणीय गुणवत्ता में सुधार लाने में यमुना जैव विविधता पार्क की भूमिका के बारे में समझाया। उन्होंने आर्द्रभूमि द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं के बारे में बताया और भारतीय अर्थव्यवस्था की तुलना की, जिसे 2024-25 तक पांच ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य दिया गया है, जबकि. अकेले आर्द्रभूमि का आर्थिक मूल्य लगभग 47 ट्रिलियन डॉलर प्रति वर्ष है। इस दौरान प्रो. सीआर बाबू ने आर्द्रभूमि की संभावनाओं को पहचानने और उनके संरक्षण के लिए प्रभावी नीतियां बनाने में न्यायपालिका और नीति निर्माताओं की भूमिका के बारे में बताया। उन्होंने छात्रों से आर्द्रभूमि के संरक्षण और कायाकल्प में सक्रिय रूप से भाग लेने की भी अपील की।

इस अवसर पर डीयू के पर्यावरण अध्ययन विभाग के प्रो. आरएस शर्मा, भूविज्ञान विभाग के प्रो. शशांक शेखर, डीयू के पूर्व कुलपति और इंद्र प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार के प्राप्तकर्ता प्रो. पीसी जोशी के साथ यमुना संसद के संयोजक रविशंकर तिवारी शामिल हुए।

डीडीए के यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में अठखेलियां करते परिंदे। अमर उजाला

सड़क नेटवर्क योजना की मंजूरी से पहले मांगे नागरिकों के सुझाव

नई दिल्ली। अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क नेटवर्क योजना (आरएनपी) की मंजूरी के लिए निगम ने नागरिकों के सुझाव मांगे हैं। पायलट परियोजना के तौर पर तीन कॉलोनियों का चयन किया गया है। एमसीडी और डीडीए साथ मिलकर इस परियोजना पर काम कर रहे हैं।

अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क नेटवर्क योजना का लेआउट तैयार करने से पहले रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए), भूमि मालिकों और विकास संस्थाओं (डीई) से सुझाव व आपत्तियां दर्ज की जाएंगी। इस परियोजना के अंतर्गत डीडीए ने 8 मार्च, 22 को अधिसूचना जारी की थी। इस दिशा में डीडीए ने स्कूल ऑफ प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर (एसपीए) के परामर्श से तीन कॉलोनियों में आरएनपी का लेआउट तैयार कराने का काम शुरू किया है। डीडीए ने आरएनपी को आगे की प्रक्रिया और अनुमोदन के लिए निगम के पास भेज दिया है।

पायलट प्रोजेक्ट में नगर निगम और डीडीए साथ करेंगे काम

निगम के अधिकार क्षेत्र में आने वाली तीन अनधिकृत कॉलोनियों खिड़की एक्सटेंशन मालवीय नगर (पंजीकरण संख्या 897), स्वरूप नगर एक्सटेंशन के डब्ल्यूएक्सवाईजेड ब्लॉक भाग-दो ईस्ट विलेज लिबासपुर (पंजाकरण संख्या 904) और ईस्ट आजाद नगर (पंजाकरण संख्या 53-ईएलडी) के लेआउट तैयार किए जा रहे हैं। निगम की वेबसाइट पर इनके लिए नागरिकों से सार्वजनिक रूप से प्रतिक्रिया और सुझाव लिए जा रहे हैं। नागरिकों की ओर से आपत्ति व सुझाव दाखिल करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी है। निगम ने 30 दिन के भीतर ई-मेल से सुझाव या आपत्तियां दर्ज कराने की अपील की है। ब्यूरो

मनमर्जी से तोड़फोड़ नहीं कर सकता डीडीए : हाईकोर्ट

नई दिल्ली। उच्च न्यायालय ने कहा कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी मर्जी से कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकता। ऐसी कार्रवाई शुरू करने से पहले उसे कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए और किसी पक्ष की आपत्तियों पर फैसला करना चाहिए।

करोल बाग स्थित एक संपत्ति को तोड़ने पर रोक लगाते हुए की टिप्पणी

अदालत से

अदालत ने करोल बाग स्थित एक संपत्ति को तोड़ने पर रोक लगाते हुए यह टिप्पणी की। न्यायमूर्ति जसमीत सिंह ने कहा, तोड़फोड़ प्रक्रिया शुरू करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना, जवाब मांगना, आपत्तियों पर फैसला देना और उसके बाद कोई भी विध्वंस करना आवश्यक है। अदालत ने बाल किशन गुप्ता की याचिका स्वीकार करते हुए उक्त टिप्पणी की। अदालत ने डीडीए को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गुप्ता को संपत्ति से बेदखल करने पर रोक लगा दी।

न्यायमूर्ति सिंह ने कहा कि गुप्ता ने अपने पक्ष में एक पंजीकृत बिक्री विलेख के साथ संपत्ति पर कब्जा कर लिया था और इसलिए उन्हें पूर्व सूचना या कारण बताओ नोटिस के बिना विध्वंस करने की डीडीए की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन है। ब्यूरो

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

NAME OF NEWSPAPERS---------- 5 फरवरी • 2024 | राष्ट्रीय सहारा

स्थिति में सुधार की बड़ी गुंजाइश

स्कूल फीस | सुशील देव

निजी स्कूलों में बच्चों का नामांकन करवाना जितना चुनौती भरा काम है, उससे कहीं अधिक चुनौतीपूर्ण है उनकी फीस भरना। पटना हाई कोर्ट ने वैसे माता-पिताओं की दुखती रग पर हाथ रखते हुए जो फैसला दिया है, वह राहत पहुंचाने वाला है। दरअसल, पटना हाई कोर्ट ने अपने फैसले में निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने वाले कानून को संवैधानिक करार दिया है यानी फीस बढ़ाने को लेकर अब कोई भी निजी स्कूल मनमानी नहीं कर सकता।

इस फैसले का दूरगामी असर अन्य राज्यों पर भी पड़ सकता है। मनमानी फीस बढ़ोतरी पर अंकुश लगाने वाला हाई कोर्ट का यह फैसला भले बिहार के लिए आया हो लेकिन इससे हर राज्य के त्रस्त माता-पिता या अभिभावक खुश होंगे। गौरतलब है कि सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के उस आदेश पर लगी रोक हटा थी, जिसमें निजी स्कूलों को कोरोना काल यानी 2020-21 सत्र के दौरान ली गई स्कूल फीस का 15 फीसद समायोजित या भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। तब यह रोक केवल उन तीन स्कूलों के पक्ष में लागू हुई थी, जिन्होंने अपने खातों और बैलेंस शीट का हलफनामा दायर नहीं किया था। तब पिछले पांच सालों के खर्च का ब्यौरा समेत बैलेंस शीट तलब के साथ ही राज्य प्रशासन को छह सप्ताह तक इन स्कूलों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया गया था। स्कूल चाहे सरकारी या निजी भूमि पर बना हो, राजधानी दिल्ली में किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने में मनमानी की इजाजत नहीं है। वहीं दिल्ली के निजी स्कूलों में फीस बढ़ोतरी की मनमानी रोकने के लिए शिक्षा निदेशालय ने स्कूलों के बैंक खाते जांचने की तैयारी भी की थी, जिसमें सरकारी या निजी भूमि पर बने स्कूलों के बैंक खातों का तीन साल का लेखा-जोखा जांचा गया। इस बाबत कुछ कार्यवाही किए जाने की भी सूचना है।

वहीं, हाल में दिल्ली सरकार ने 101 निजी स्कूलों के जमीन आवंटन को रद्द करने की डीडीए से सिफारिश की है। आठ स्कूलों की लीज खत्म कर भी दी गई है। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय ने हाई कोर्ट में दायर हलफनामे में कहा है कि ये स्कूल नियमों की अवहेलना कर रहे थे और ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए आरक्षित 25 फीसद सीटें

के नियम को दरकिनार कर रहे थे। दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स का नियम 17-3 कहता है कि किसी भी स्कूल को फीस बढ़ाने के लिए प्रबंध समिति में प्रस्ताव पारित करना होगा और शिक्षा विभाग को इसकी जानकारी देनी होगी। विभाग को अगर लगता है कि फीस बेवजह बढ़ाई जा रही है तो वह रोक लगा सकता है। कुछ स्कूल मालिकों की दलील है कि समय के साथ फीस बढ़ाना होता है। शिक्षकों को सैलरी देनी होती है। स्कूलों को आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्गों के लिए 25 प्रतिशत सीटें देनी होती हैं। इस पैसे को सरकार समय से वापस भी नहीं करती। वार्षिक या डवलपमेंटल फीस के मामले को लेकर अभी नीति स्पष्ट नहीं है।

शायद बहुत ही कम लोगों को पता होगा कि भारत में अच्छे या नामचीन स्कूलों की ट्यूशन फीस सालाना 1 से 2 लाख रुपये तक भी है जबकि स्कूल की एडमिशन फीस के नाम पर 25 हजार से 1 लाख रुपये तक देना पड़ता है। असल में, निजी स्कूलों में बेहतर बुनियादी ढांचा और सुविधाएं होती हैं, जो छात्रों के समग्र विकास में मदद करती हैं। ठीक इसके उलट वे ऐसी फीस की मांग करते हैं, जो बहुत अधिक होती है और माता-पिता के लिए वहन करने योग्य नहीं होती। निजीकरण और महंगी शिक्षा के कारण देश में निजी स्कूल महंगे हो रहे हैं। वजह यह भी है कि सरकारी स्कूल का संचालन सरकार के हाथ में तथा निजी स्कूलों का संचालन निजी व्यक्ति के हाथ में होता है। सरकारी स्कूल का भवन छोटा और अनाकर्षक होता है जबकि निजी स्कूलों का भवन बड़ा और आकर्षक होता है। ऐसे में निजी स्कूल बिना कोई सेवा प्रदान किए फीस बढ़ाने की मांग करता है, तो इसे मुनाफाखोरी और शिक्षा का व्यावसायीकरण ही कहा जाएगा।

सनद रहे कि पटना हाई कोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा निजी स्कूलों की फीस को नियंत्रित करने के लिए 2019 में बनाए गए कानून को चुनौती देने वाली रिट याचिका खारिज कर दी थी। मुख्य न्यायाधीश के. विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति राजीव राय की खंडपीठ ने 'एसोसिएशन ऑफ इंडिपेंडेंट स्कूल, बिहार' नामक संस्था की रिट याचिका खारिज करते हुए बिहार प्राइवेट स्कूल फीस नियमितीकरण अधिनियम, 2019 को संवैधानिक और कानूनी तौर पर सही ठहराया। अच्छी बात यह है कि खंडपीठ ने आदेश दिया है कि हर प्रमंडलीय स्तर पर गठित होने वाली फीस रेग्युलेशन कमेटी में दो सदस्यों का चुनाव छात्रों के माता-पिता या अभिभावक के बीच से होना चाहिए। ऐसे में फीस को लेकर सुधार की बड़ी गुंजाइश दिखाई देती है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

पंजाब केसरी
DELHI
5 फरवरी, 2024
NEWSPAPERS

किराड़ी विधानसभा: बदहाली पर आंसू बहा रहा है मुबारकपुर डबास गांव

पश्चिमी दिल्ली, (पंजाब केसरी): किराड़ी विधानसभा के गांव मुबारकपुर डबास अपनी बदहाली पर आंसू बहा रहा है उल्लेखनीय है कि पिछले सात वर्षों से गांव में कोई भी विकास कार्य नहीं हुआ है, सबसे बुरी दुर्दशा गांव की गलियों नालियों की मरम्मत न होने से गंदे पानी की निकासी भी नहीं हो पा रही है। हल्की बारिश में ही इन गलियों से निकलना दूभर हो गया है। चौगामा विकास समिति के महासचिव विजेंद्र डबास का कहना है कि अप्रैल महीने में एक महिला फिसल कर गिर जाने से हाथ टूट गया था।

अब हालात यह हो गए हैं कि न निगम पार्षद गांव की सुध लेते हैं और न स्थानीय विधायक, इसके अलावा भी एक बहुत बड़ी एजेंसी दिल्ली विकास प्राधिकरण क्योंकि गांव शहरीकृत हो चुका है इसलिए ज्यादा जिम्मेदारी दिल्ली विकास प्राधिकरण की है। परन्तु डीडीए के अधिकारी गांव के प्रति कोई सहानुभूति नहीं दिखा रहे हैं। साथ ही डबास ने कहा कि गांव में पिछले साढ़े चार वर्षों से मात्र 340 मी सड़क खराब होने से सार्वजनिक परिवहन सेवा बंद पड़ी है। वैसे भी गांव में नागरिक बुनियादी सुविधाओं की भारी कमी है। हिंदी अकादमी दिल्ली सरकार ने लाइब्रेरी को बंद कर दिया। दिल्ली नगर निगम की आयुर्वेदिक डिस्पेंसरी खस्ता हाल होने की वजह से गांव से 8 किलोमीटर दूर अन्य गांव में 9 वर्षों से शिफ्ट की हुई है। गांव का शाखा डाकघर 8 वर्षों से बंद है, पेयजल सप्लाई में नियमित रूप से गंदा पानी आता है। डबास ने बताया कि वह दिल्ली के मुख्य सचिव व उपराज्यपाल को पत्र लिख चुके है लेकिन आज तक किसी ने भी गांव का मुआयना नहीं किया है।

लोग इन्हीं सड़कों से अपने गंतव्य तक जाते हैं।

दैनिक भास्कर

हाई कोर्ट ने याचिकाकर्ता के घर को तोड़ने से रोका

बिना नोटिस दिए ध्वस्तीकरण नहीं कर सकता डीडीए : कोर्ट

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) अपनी मर्जी से कोई तोड़फोड़ नहीं कर सकता है और ऐसी कार्रवाई शुरू करने से पहले कारण बताओ नोटिस जारी करना चाहिए और किसी पक्ष द्वारा उठाए गए जवाब या आपत्तियों पर फैसला करना चाहिए। जस्टिस जसमीत सिंह की पीठ ने उक्त टिप्पणी के साथ याचिककर्ता बाल किशन गुप्ता की याचिका स्वीकार करते हुए डीडीए को करोल बाग इलाके में स्थित उसके घर को ध्वस्त करने से रोक दिया।

कोर्ट ने डीडीए को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना गुप्ता को संपत्ति से बेदखल करने से रोक दिया। कोर्ट ने याची को पूर्व सूचना या कारण बताओ नोटिस के बिना ध्वस्त करने की डीडीए की कार्रवाई को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध बताया। याची ने दावा किया कि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई से पहले उन्हें कारण बताओ नोटिस या सूचना नहीं दी गई थी। कोर्ट ने नोट किया कि याची ने पंजीकृत बिक्री विलेख के तहत संपत्ति पर कब्जा लिया था। इसलिए पूर्व सूचना या कारण बताओ नोटिस के बगैर ध्वस्तीकरण की डीडीए की कार्रवाई प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन थी। डीडीए ने दावा किया कि याचिकाकर्ता एक अनधिकृत कब्जेदार था और उसका संपत्ति पर कोई अधिकार नहीं था।

एमसीडी ने 3 अनधिकृत कॉलोनियों में सड़क नेटवर्क योजना पर सुझाव मांगे

नई दिल्ली | दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) ने रविवार को जारी एक अधिसूचना जारी कर दिल्ली में 3 अनधिकृत कॉलोनियों की सड़क नेटवर्क योजना की मंजूरी पर जनता से सुझाव या आपत्तियां आमंत्रित की हैं। नागरिक निकाय ने 3 कॉलोनियों दक्षिणी दिल्ली में खिड़की एक्सटेंशन, उत्तरी दिल्ली में सरूप नगर एक्सटेंशन और पूर्वी आजाद नगर में सड़क नेटवर्क योजना (आरएनपी) को मंजूरी देने के लिए एक पायलट परियोजना के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) के साथ हाथ मिलाया है। आधिकारिक बयान में कहा गया है कि सुझाव और आपत्तियां जमा करने की अंतिम तिथि 24 फरवरी है। इसका उद्देश्य तीन कॉलोनियों में आरएनपी के लेआउट के लिए आवेदन जमा करने और संबंधित प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY
LIBRARY
PRESS CLIPPING SERVICE

millenniumpost
MONDAY, 5 FEBRUARY, 2024 | NEW DELHI

PAPERS----------DATED----------

MCD invites public suggestions on RNP in three unauthorised colonies

NEW DELHI: The Municipal Corporation of Delhi has invited suggestions or objections from the public on approval of the road network plan of three unauthorised colonies in Delhi, according to a notification released on Sunday.

The civic body has joined hands with the Delhi Development Authority (DDA) for a pilot project on the approval to the road network plan (RNP) in the three colonies - Khirki Extension in south Delhi, Saroop Nagar Extension in north Delhi and East Azad Nagar in east Delhi.

"The last date for submission of the suggestions/objections is February 24," it said.

The objective is to streamline the submission of applications and related processes for the layout of RNP in the three colonies, an official statement said.

It focuses on enhancing efficiency and addressing the concerns of Resident Welfare Associations (RWAs), land owners' groups and Developer Entities (DEs), it added.

The DDA has engaged the MCD to prepare the RNP of three colonies in consultation with the School of Planning and Architecture (SPA).

It has sent the RNPs to the civic body for further processing and approval, the statement said.

The RNP of three colonies is currently available for public feedback and suggestions on the MCD website mcdonline.nic.in.

"MCD will fully consider the responses received before forwarding the final RNP to the competent authority for approval," the statement said.

The MCD has asked all stakeholders including RWAs, land owners and residents to review the proposed RNP and provide their suggestions or objections through the mentioned email ID. MPOST

अमर उजाला
नई दिल्ली | सोमवार | 5 फरवरी, 2024
amarujala.com

विदेशी पक्षियों का भी घर बना जैव विविधता पार्क

फेरुजिनस पोचार्ड, यूरेशियन विजन, रफ, करलु सैंडपाइपर, बार हेडेड गीज, ग्रे लैग गीज पक्षियों की भरमार

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। पर्यावरण स्वच्छ हो तो इंसान ही नहीं पक्षी भी खिंचे चले आते हैं। स्वदेशी ही नहीं विदेशी पक्षी भी रमणीय स्थल की तलाश में रहते है और हजारों किलोमीटर की दूरी तय कर अपना आशियाना ढूंढ़ लेते हैं। ऐसा ही नज़ारा खूबसूरत जैव विविधता वाला पार्क दिल्ली विकास प्राधिकरण ने भी तैयार किया है। 3000 एकड़ क्षेत्र में फैले हुए इस जैव विविधता पार्क में शहरी केंद्रों से विलुप्त होते पक्षी प्रवास कर रहे हैं।

प्राधिकरण ने यमुना जैव विविधता पार्क, कालिंदी, तिलपथ घाटी, नीला हौज, कमला नेहरू रिज (उत्तरी रिज) जैव विविधता पार्क में प्राकृतिक विरासत को संरक्षित किया है। सर्दियों के दौरान इन जगहों पर यूरोप, साइबेरिया, मध्य एशिया और चीन से प्रवासी पक्षियों की लगभग 30 प्रजातियां डेरा डाले हुए हैं। इनमें फेरुजिनस पोचार्ड, यूरेशियन विजन, रफ, करलु सैंडपाइपर, बार हेडेड गीज, ग्रे लैग गीज नस्ल के प्रवासी पक्षियों की भरमार है। रविवार को बिग बर्ड डे की पूर्व संध्या पर जैव विविधता पार्कों में छात्र, वैज्ञानिक और पेशेवर की गणना के दौरान कॉलर स्कॉप्स उल्लू की एक झलक देखकर प्रफुल्लित नजर आए।

जैव विविधता पार्क में विचरण करते पक्षी। अमर उजाला

पर्यवेक्षकों के रूप में अलग-अलग समूहों ने सुबह नौ बजे से 11 बजे तक पक्षियों की प्रजातियों की गिनती की। आज यमुना बायोडायवर्सिटी पार्क में पलाश गल और ब्लैक रम्प्ड फ्लेमबैक के अलावा यूरेशियन विजन को उल्लेखनीय रूप से देखा गया। अरावली बायोडायवर्सिटी पार्क ने कॉलरड स्कॉप्स उल्लू की उपस्थिति दर्ज की गई।